राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/ 551 दिनांकः 10/1/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सीकर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रांम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	सीकर	सीकर	ग्राम पंचायत सबलपुरा का राजस्व ग्राम सबलपुरा (आंशिक), ग्राम पंचायत नानी का राजस्व ग्राम नानी (आंशिक), ढाणी नाथावतान (पूर्ण), ग्राम पंचायत चन्दपुरा का राजस्व ग्राम चन्दपुरा (आंशिक), ढाणी सालमसिंह (पूर्ण), बजाज ग्राम (पूर्ण), ग्राम पंचायत दुजोद का राजस्व ग्राम दुजोद (आंशिक), ग्राम पंचायत गोकुलपुरा का राजस्व ग्राम गोकुलपुरा (आंशिक), रामु का बास (आंशिक), ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा का राजस्व ग्राम दुला की ढाणी (आंशिक), दासा की ढाणी (आंशिक), राधाकिशनपुरा (पूर्ण), ग्राम पंचायत चैनपुरा का राजस्व ग्राम चारण का बास (आंशिक), पिपली नगर (आंशिक), ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा का राजस्व ग्राम समर्थपुरा (पूर्ण), घोराणा (पूर्ण), शिवसिंहपुरा (पूर्ण), ग्राम पंचायत कुडली का राजस्व ग्राम नला का बालाजी (पूर्ण), धाबाईपुरा (आंशिक), बालाजी भैंरूजी नगर (आंशिक), कुडली (आंशिक), ग्राम पंचायत कटराथल का राजस्व ग्राम कटराथल (आंशिक), ग्राम पंचायत भादवासी का राजस्व ग्राम जगमालपुरा (आंशिक) **(जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार – 18,612)**

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव